बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र०6 वि० आ०-06/2006-459 खाद्य,पटना/दिनांक 22.1.2008

प्रेषक,

एस0 शिवकुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:- **राज्य में अवस्थित विभिन्न छात्रावासों/लॉजों/कोचिंग संस्थान के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय पत्रांक 1004 दिनांक 22.03.06 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा यह निदेश दिया गया था कि वार्ड/प्रखंड में अवस्थित छात्रावासों/लॉज/कोचिंग संस्थान के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति छात्रावास/लॉज/कोचिंग संस्थान के छात्रावास परिसर में ही की जायेगी । छात्रावासों को किरासन तेल का वितरण ठेला भेंडरों द्वारा उक्त छात्रावास के अधीक्षक द्वारा निर्गत छात्रावास आवासन संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा । लॉज/कोचिंग संस्थान के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भी सम्यक पहचान के बाद किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा पूर्ण विवरण सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा ।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य के अन्तर्गत विभिन्न छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को किरासन तेल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है । अतः उपर्युक्त स्थिति में आपके जिला में छात्रों को किरासन तेल उपलब्ध कराने में यदि कठिनाई हो तो आवश्यकतानुसार जिला सुरक्षित किरासन तेल से भी छात्रों को किरासन तेल उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि अध्ययनरत छात्रों को किरासन तेल की कठिनाई न हो ।

3. इसके बावजूद यदि छात्रों को किरासन तेल उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई हो तो स्थिति की समीक्षा कर पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को भेजा जाय ताकि इस संबंध में अग्रतर कारंवाई की जा सके ।

आग्रह है कि उपर्युक्त आलोक में आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करते हुए विभाग को सूचित करने की कृपा करे ।

विश्वासभाजन

(ह०)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 459 /खाद्य,पटना/दिनांक 22.1.08

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- 459 /खाद्य,पटना/दिनांक 22.1.08

प्रतिलिपिः माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।